छात्र जदयू के नवमनोनीत विश्वविद्यालय एवं जिला नगर अध्यक्षों को रुहेल रंजन ने दी बधाई

पटना (आससे)। जनता दल यूनाइटेड छात्र प्रकोष्ठ के नवमनोनीत विश्वविद्यालयों एवं जिला-नगर अध्यक्षों की सूची जारी होने पर छात्र जदयू के प्रभारी एवं इस्लामपुर के विधायक रुहेल रंजन तथा छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष धीरज कुमार ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं हैं। उन्होंने उनके सफल एवं उज्वल कार्यकाल की कामना करते हुए विश्वास जताया कि सभी युवा साथ अपनी ऊर्जा, निष्ठा और संगठनात्मक क्षमता के बल पर छात्र संगठन को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

रुहेल रंजन ने कहा कि बिहार के विकास पुरुष एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तथा बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के अनुमोदन के बाद छात्र प्रकोष्ठ के नवमनोनीत पदाधिकारियों की सूची जारी की गयी है। इन नियुक्तियों से छात्र संगइन को नयी ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।

रुहेल रंजन ने कहा कि छात्र जदयू का प्रमुख उद्देश्य छात्र-छात्राओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना, उनके हितों के लिए कार्य करना तथा संगठन को शैक्षणिक संस्थानों में और अधिक मजबूत बनाना है।

कांग्रेस की रैली का कोई औचित्य नहीं : भगवान



पटना (आससे)। जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्तााटों एवं फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। कार्यक्रम में समन्वय के लिए पार्टी की प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण वर्मा चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने आमजनों से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कारररवाई सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए।

इस मौके पर श्री कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होनेवाली कांग्रेस की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस रैली का कोई राजनीतिक औचित्य नहीं है।

जदयू की २३ वर्षों की यात्रा सामाजिक न्याय और सुशासन के मूल्यों को समर्पित : कुशवाहा

पटना (आससे)।बिहार प्रदेश जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पार्टी के २३वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के सर्वमान्य नेता एवं राष्ट्रीय अध्यख नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, पार्टी के भविष्य एवं लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री निशांत सहित सभी वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं देवतुल्य कार्यकर्ताटों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डा. अंबेडकर, लोकनायक जय प्रकाश नारायण, डा.लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से प्रेरणा लेकर ३० अक्टूबर, २००३ को जदयू की स्थापना के साथ सामाजिक न्याय, सुशासन और सामाजिक समरसता के जिन आदर्शों को लेकर पार्टी की यात्रा शुरू हुई थी, बीते २३ वर्षों में पार्टी ने उन मूल्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है।

नशा करना हो, तो भक्ति का नशा करें : मानस धुरंधर भगवान दास

पटना (आससे)। संत पशुपतिनाथ बाबा महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित सहस्त्रचण्डी महायज्ञ के सातवें दिन पूर्वाह्न में संत पशुपतिनाथ वेद विद्यालय के बटुक ब्रह्मचारियों ने समवेत स्वर में स्वास्तिवाचन वैदिक गान किया। संकल्पित ५१ पुरोहितों द्वारा दुर्गासप्तशती के पाठ से गुंजायमान रहा बुद्धमार्ग। अपराह्न में हवन किया गया। हवन के पश्चात् यज्ञ पुरुष भगवान की आरती की गयी। मऊ, उत्तर प्रदेश से पधारे धर्म संघ के संत मानस धुरंधर भगवान दास ने कहा- नशा करना हो, तो भक्ति का नशा करें। भक्ति का नशा होता है तो मीरा कृष्णमय हो जाती है, शबरी राममय हो जाती है। रावण पर काम का नशा सवार हुआ, तो वह काममय हो गया, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया।

गृहस्थी में नारी की महिमा बताते हुए मानस धुरंधर ने कहा। घर में स्त्री को प्रसन्न रखना हर प्रकार से परिवार के हित में होता है। जहां पर स्त्री प्रसन्न रहती है, उस घर गृहस्थी की उन्नति होती रहती है। जहां स्त्री दु:खी होती है, जहां उसे अधिकार से वंचित रहना पड़ता है उस परिवार का संपूर्ण विकास प्रभावित होता है।

यज्ञाचार्य डा.नरेन्द्रनाथ पाण्डेय, स्वामी योगानन्द बाबा ने भी अपने श्रीवचन से ज्ञान गंगा प्रवाहित की। महायज्ञ के आयोजन में समर्पित भागीदारी कर रहे हैं बाबा महाराज के कृपापात्र सुधाकर सिंह, उपेन्द्र सिंह, कौशल किशोर, मणि त्रिपाठी, पं.अजित तिवारी, पं.अक्षय तिवारी, दया बाबा, प्रह्लाद पाण्डेय, राजीव दूबे, नागेन्द्र पाण्डेय व मैनेजर शुक्ल।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यालय नगर परिषद् वारिसलीगंज (नवादा)
पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या : 05/2026-27
Model RFP आधारित
(ई-टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in)

1. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता : नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिशद्, वारिसलीगंज, नवादा।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक : 28.10.2026
3. परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समयः दिनांक : 13.11.2026 के 11:00 बजे से दिनांक : 20.11.2026 के 15:00 बजे तक(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री बीड मिटिंग का समय/स्थान/तिथि : समय - 11:30 बजे स्थान - कार्यालय कक्ष, नगर परिशद्, वारिसलीगंज
4. प्री बीड मिटिंग का समय/स्थान/तिथि : समय - 11:30 बजे स्थान - कार्यालय कक्ष, नगर परिशद्, वारिसलीगंज दिनांक : 14.11.2026
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक : 21.11.2026 को 15:00 बजे तक (on website www.eproc2.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय : दिनांक : 21.11.2026 के 15:30 बजे (on website www.eproc2.bihar.gov.in)
7. वितीय बीड खोलने की तिथि : तकनीकी बीड में सफल होने के उपरांत निर्देशानुसार

8. कार्य का विवरण :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (Through Online Payment) (रूपये में)	Bid Processing Fee (Through Online Payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of Additional items of Compost under Nagar parishad warisaliganj (पुनर्निविदा)	11952035.00	239100.00	10000.00	As per Eproc2	9 माह

Note- Bidders should submit Bid Processing Fee through Online Payment as per amount generated on Website www.eproc2.bihar.gov.in

09. निविदा की वैद्यता अवधि - 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से
10. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा www.state.bihar.gov.in/prdbihar में देखा जा सकता है।
11. ई- टेन्डरिंग के प्रकिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत विशेष जानकारी के लिए www. eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् वारिसलीगंज,नवादा

PR. No. 014576 (B&C) 2026-27

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

रक्त की आवश्यकता पड़ने पर लाईसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों से ही रक्त प्राप्त करें।

लखीसराय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तलब

पटना (विधि सं)। राज्य में नियोजित शिक्षकों के नियोजन के साथ खिलवाड़ करने तथा विगत 5 वर्षों से उनसे काम लिए जाने के बावजूद उन्हें वेतन नहीं देने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने लखीसराय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने तरन्नुम शीरी और शाइस्ता अंजुम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए संबंधित जिले के कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को 5 नवंबर को कोर्ट में सदेह उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

उक्त दोनों अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ॠषिक सिंह राजपूत ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि उनके दोनों मुवक्किलों का नियोजन बतौर पंचायत प्राथमिक शिक्षक, निचली मुस्लिम टोला प्राइमरी स्कूल, उरैन में 4 जनवरी, 2011 को हुआ, जिसके कुछ महीने बाद उनकी नियुक्ति को बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया। दस वर्षों के लंबे कानूनी लड़ाई जीतने के बाद उन दिनों शिक्षिकाओं की नियुक्ति को कानूनन सही ठहराते हुए वर्ष 2021 में उन्हें योगदान करवाया गया। उल्लेखनीय है कि दोनों शिक्षिकाओं की नियुक्ति को सही ठहराने वाले प्राधिकार के आदेश को सरकार या ग्राम पंचायत नियोजन इकाई की तरफ से की कानूनी चुनौती उच्च न्यायालय में नहीं दी गई, लेकिन लखीसराय के डीपीओ के आदेश पर स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें शिक्षा हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी देने पर रोक लगा दिया है। इसके बावजूद दोनों शिक्षिकाएं बिना वेतन के रोजाना शिक्षण कार्य कर रही हैं।

राजस्व संग्रहण में पिछड़े 10 डीटीओ को शो-कॉज नोटिस

(आज समाचार सेवा)

पटना। परिवहन विभाग में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण नहीं करने वाले करीब 10 जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को विभागीय मंत्री श्री दामोदर रावत ने शोकॉज जारी किया है। इन पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए मंत्री ने विभाग को आदेश दिया है।

जिन जिलों के डीटीओ राजस्व संग्रह में पिछड़ गए, उनमें मुंगेर, कैमूर, सारण, जहानाबाद, मधेपुरा, लखीसराय, नवादा, बक्सर, खगड़िया और सहरसा मुख्य रूप से शामिल हैं। इनके अलावा कुछ अन्य जिलों के डीटीओ की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई, उन्हें भी चेतावनी दी गई है। मंत्री ने लक्ष्य हासिल करने के लिए डीटीओ को स्वयं फिल्ड में उतरकर जांच समेत अन्य कार्रवाई में तेजी लाने का आदेश दिया।

वे शुक्रवार को फुलवारीशरीफ स्थित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) के सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने यहां पटना डीटीओ कार्यालय के बाहर बने नए सेल्फी प्वाइंट 'आई लव पटना डीटीओ' का उद्घाटन भी किया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने बिहार की सड़कों पर दौड़ रही जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया। कहा कि जुगाड़ गाड़ियों से सड़क हादसों का खतरा बढ़ता है और सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है।

साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के चल रहे वाहनों के खिलाफ एक महीने तक विशेष अभियान चलाकर उन्हें जब्त करने कहा।

आगामी दिवाली-छठ पर चलने वाली बसों में ओवरलोडिंग न हो, इसका विशेष ध्यान रखने की हिदायत भी मंत्री ने दी है।

आपदा व जोखिम से बचाव को 1,25,211 शिक्षकों की होगी ट्रेनिंग

280 मास्टर ट्रेनर देंगे प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू

पटना (आशिप्र)। विद्यालयों को सुरक्षित बनाने और आपदा प्रबंधन की तैयारी मजबूत करने के लिए शुक्रवार से राजधानी में राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके तहत चयनित मास्टर प्रशिक्षकों को दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका आयोजन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से किया है। यह कार्यक्रम 12 नवम्बर तक चलेगा। इसमें 280 मास्टर ट्रेनर्स को पांच बैच में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये मास्टर ट्रेनर्स अपने-अपने जिलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। अगले दो माह के भीतर राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1,25,211 शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक नवदीप शुक्ला के मार्गदर्शन में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी मेहताब रहमानी, अपर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. उदय कुमार उज्ज्वल, बसंत कुमार सिन्हा, राजीव कुमार और यूनिसेफ के पल्लव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले दिन मास्टर प्रशिक्षकों को विद्यालय परिसर में संभावित खतरों की पहचान करने की जानकारी दी गई। उन्हें सुरक्षित निकासी योजना बनाने और मॉक ड्रिल कराने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही, विद्यार्थियों में आपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा की आदत विकसित करने पर भी जोर दिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को आपदा और विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सुरक्षित बनाना है। इसके माध्यम से विद्यालय स्तर पर सुरक्षा संबंधी तैयारियों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, विद्यालयों में सुरक्षित और आपदा के प्रति जागरूक शैक्षिक वातावरण विकसित करने में मदद मिलेगी।

यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में बदलेगी वेतन भुगतान की व्यवस्था

पटना (आशिप्र)। राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत कॉलेजों में वेतन भुगतान की व्यवस्था बदलेगी।

प्रस्तावित व्यवस्था में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विश्वविद्यालयों के माध्यम से करने के बजाय सीधे कोषागार से उनके बैंक खातों में करने का प्रस्ताव है। इस नयी व्यवस्था को लेकर लोक भवन से सहमति मिल गई है। अब प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है।

घर तोड़ने पर मुआवजा सुनिश्चित करने का आदेश

पटना (विधि सं)। पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बगैर ठोस कानूनी आदेश के किसी नागरिक का आशियाना उजाड़ना संविधान के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। जस्टिस राज कुमार की पीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि नवादा जिले के वीरेंद्र कुमार को तीन महीने के भीतर दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करें। नवादा जिले के राम नगर निवासी वीरेंद्र कुमार ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार 13 जनवरी, 2016 को अंचल अधिकारी ने भारी पुलिस बल और नगर परिषद की जेसीबी के साथ मिलकर उनके एकमात्र आशियाने को जबरन ढहा दिया। ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर पहले से ही सिविल कोर्ट में टाइटल सूट (टाइटल सूट नंबर 357/2014) लंबित था और डीसीएलआर के आदेश के विरुद्ध अपील भी दायर की जा चुकी थी। इसके बावजूद प्रशासन ने बगैर किसी विधिवत डिमोलिशन ऑर्डर के घर को जमींदोज कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'कब्जा दिलाने के आदेश का मतलब यह नहीं होता कि किसी के मकान पर बुलडोजर चला दिया जाए। डिमोलिशन के लिए अलग से स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया का पालन होना अनिवार्य है। अदालत ने राज्य सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि प्रशासन केवल मूकदर्शक था। जेसीबी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी यह साबित करती है कि कार्रवाई प्रशासनिक सहभागिता से हुई।

न्यायालय समाहर्त्ता, अरवल
(जिला विधि शाखा)
अति आवश्यक सूचना
प्रेस विज्ञप्ति
बिहार सरकार

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2018 एवं 2022) के अन्तर्गत जब्त वाहनों के मालिकों के लिए आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा निम्नलिखित वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 (यथा संशोधित 2018 एवं 2022) के अन्तर्गत पुलिस विभाग एवं उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब के परिवहन के आरोप में आपके वाहन को जब्त कर अधिहरण हेतु समर्पित प्रस्ताव के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अधिहरण वाद संस्थित है। ज्ञात हो कि सभी वाहन मालिकों को पूर्व में नोटिस निर्गत किया गया था किन्तु वाहन मालिक न्यायालय में अनुपस्थित रहें। उक्त वाद में सुनवाई की अगली तिथि क्रमशः-07.11.2026 एवं 14.11.2026 को पूर्वाहन 11:30 बजे निर्धारित की गई है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश वाहन मालिक उक्त तिथियों को उपस्थित नही होते हैं, तो सुनवाई हेतु निर्धारित अंतिम तिथि-21.11.2026 को अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे। **जप्त वाहन एवं वाहन मालिकों की सूची निम्नवत् है:-**

क्र0	अधिहरण वाद सं0/वर्ष	संबंधित थाना कांड/उत्पाद वाद सं0	जप्त वाहन का प्रकार/निबंधन सं0	वाहन मालिक का नाम/पता
01	105/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 160/2026	CYCLE	राज कुमार राम, पिता-विन्देश्वर राम, सा0-माहपुर बारा, थाना-करपी, जिला-अरवल, बिहार
02	107/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 146/2026	BAJAJ PULSAR MOTORCYCLE REG NO - BR24AA-3052 ENG NO- DHYRKE73076 CHASSIS NO- MD2B64BY1KREO5975	अविनाश कुमार, पिता-जय कुमार सिंह, सा0-जयश्री काराकट, गोराड़ी, जिला-रोहतास, बिहार, पिन कोड-802212
03	111/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 108/2026	CYCLE	सुदेश्वर चौधरी, पिता-स्व0 रोहन चौधरी, सा0-मकबुल राजा, थाना-अरवल, जिला-अरवल, बिहार
04	112/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 169/2026	HONDA SHINE MOTORCYCLE REG NO - BR02A-5439 ENG NO- JC73ET2218113 CHASSIS NO-N/A	अज्ञात
05	113/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 177/2026	YAMAHA-FZS REG NO - BR56C-1837 ENG NO- G3N5E0084624 CHASSIS NO- ME1RG662AL0086474	रेमी देवी, पिता-निर्भय पासवान, सा0-हसनपुर टाड़ी, पो0-हसनपुर टाड़ी, थाना-अरवल, जिला-अरवल बिहार, पिन कोड-804402
06	114/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 166/2026	SPLENDOR PLUS MOTORCYCLE REG NO - BR56C-7745 ENG NO- HA11EANHM40632 CHASSIS NO- MBLHAW170NHM00860	राधा कुमारी, पिता-रामपूजन दास, सा0-जयपुर, पो0-मेहन्दिया, थाना-मेहन्दिया, जिला-अरवल, बिहार, पिन कोड-804428
07	117/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 164/2026	APACHE MOTORCYCLE REG NO - BR01FG-6366 ENG NO- AE8CM2016512 CHASSIS NO- MD634AE82M2D00375	गौरव कुमार, पिता-रामानुज प्रसाद, सा0-औलीयाचक, थाना-काको, जिला-जहानाबाद, बिहार, पिन कोड-804418
08	120/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 199/2026	SWIFT DZIRE REG NO - BR02BW-3615 ENG NO- Z12ENF107821 CHASSIS NO-MA3ZFDFSKSE208959	रमेश कुमार, पिता-सुरेश यादव, सा0-नियर देवी मंदिरगांव कजियाना वार्ड नं0-15 थाना-परस विगहा, जिला-जहानाबाद, बिहार, पिन कोड-804429
09	121/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 167/2026	CYCLE	लक्ष्मी साव, पिता-स्व0 रामसेवक साव, सा0-कटेशर, थाना-रामपुर चौरम, जिला-अरवल, बिहार
10	123/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 185/2026	SPLENDOR PLUS MOTORCYCLE REG NO - BR01AU-0378 ENG NO- HA11EBA9A04334 CHASSIS NO-MBLHA11EKA9A03565	श्याम सुन्दर शर्मा, पिता-राघव शर्मा, सा0-मुंगीला, पो0-शंकरपुर इमामगंज, थाना-पालीगंज, जिला-पटना, बिहार
11	124/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 198/2026	GLAMOUR MOTORCYCLE REG NO - BR25E-8339 ENG NO- JA06ERKGD14355 CHASSIS NO-MBLJAW10XKGD14383	प्रिंस कुमार, पिता-राजेश साव, सा0-कजियानाधना डिहरी, थाना+जिला-जहानाबाद, बिहार, पिन कोड-804429
12	125/2026	उत्पाद थाना कांड संख्या 155/2026	HERO SPLENDOR MOTORCYCLE REG NO - BR1AH-2834 ENG NO- 07L15E35628 CHASSIS NO-07LO3F15024	अज्ञात
13	126/2026	मेहन्दिया थाना कांड संख्या 85/2026	TEMPO REG NO - N/A ENG NO- N/A CHASSIS NO- M1LE2YSE3H775	अज्ञात

उपरोक्त अधिहरण वाद से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जिनका कोई हित जब्त-वाहन में निहित हो उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे स्वयं/अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा प्रस्तुत करें, कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-56 (ख) के अंतर्गत क्यों नहीं अवैध शराब के परिवहन में लाए जाने के कारण आपके वाहन को सरकार के पक्ष में अधिहरित कर लिया जाय अथवा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 12(क) एवं 13(क) के आलोक में जुर्माने की राशि जमा कराकर वाहन को छोड़ने हेतु (यदि आप वाहन छुड़ाना चाहते हैं तो) प्रपत्र IV में आवेदन जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक जवाब दाखिल नहीं करने/अनुपस्थित पाये जाने पर एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए आदेश पारित कर दिया जायेगा। **इसे सख़्त ताकीद जाने।**

उक्त सूचना **state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR- 014597 (District) 2026-27 समाहर्त्ता, अरवल

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

प्रथम पृष्ठ का शेष

भाजपा के पूर्व सांसद...

पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा। आरके सिन्हा का जन्म 22 सितंबर 1951 को बिहार के बक्सर में हुआ था. पिता की नौकरी पटना में थी, तो उनकी शिक्षा-दीक्षा पटना में हुई. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई. साल 1971 में बतौर पत्रकार भारत-पाकिस्तान युद्ध को कवर किया।

तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के विरुद्ध लिखने के कारण उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा. इसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सलाह पर उन्होंने पटना के एक गैरेज में एसआईएस कंपनी बनाई. वह बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे. आरएसएस में भी इनकी बड़ी पकड़ थी. बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया था।

आरके सिन्हा के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जनसंघ एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय आर के सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. पत्रकारिता, समाजसेवा एवं संगठन के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. उनका निधन राजनीतिक एवं सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।

गंगा जल संधि में...

लेकर राज्यस्तरीय नीति बनाई है। गंगा सहित अन्य नदियों से निकलनेवाली गाद का वैज्ञानिक तरीके से निष्कासन और उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। गंगा की गाद एवं मिट्टी को आम लोगों के उपयोग तथा सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए आने वाले समय में बिहार सरकार और एन एच ए आई के बीच समझौता किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर भी गाद प्रबंधन की एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने गंगा के तटबंधों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि नदी के प्रवाह और उसके प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से समझना और उसके अनुरूप कार्य करना जरूरी है। संगोष्ठी में शामिल विशेषज्ञों को गंगा का हवाई सर्वेक्षण कराया जाए, ताकि वे नदी की वास्तविक स्थिति, प्रवाह और गाद जमाव का प्रत्यक्ष आकलन कर सकें तथा प्रभावी सुझाव दे सकें। उन्होंने कहा कि बिहार की नदियां राज्य के लिए अपार संभावनाओं का स्रोत हैं। इनके जल और गाद का समुचित प्रबंधन कर कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार एवं नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प बिहार की नदियों को राज्य की आर्थिक समृद्धि का आधार बनाना है। जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, विशेषज्ञों के सुझाव और केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह ने हरित पौधा, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जल सुरक्षा को लेकर तैयार की गयी एक स्मारिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान बाढ़, जल प्रबंधन पर आधारित एक लघु फिल्म दिखायी गयी। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, सांसद संजय कुमार झा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह, विभिन्न क्षेत्रों से आये हुये जल विशेषज्ञ, अभियंतागण, वरीय अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

25 जनवरी से 28...

गया है। जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले लोगों को अपनी जानकारी खुद दर्ज कराने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। इसके बाद 25 जनवरी से घर-घर जाकर जनगणना का काम शुरू होगा। वहीं, 1 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण का दौर चलेगा। इस दौरान जनगणना से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा और आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

आजादी के बाद यह देश की आठवीं जनगणना होगी। पूरी प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी। पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करने और आवास से जुड़ी जानकारी जुटाने का काम होगा। जबकि दूसरे चरण में देश की वास्तविक जनसंख्या की गणना की जाएगी।

गौरतलब है कि देश में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा था। अब केंद्र सरकार ने जनगणना की पूरी प्रक्रिया के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है।

भारत में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। उस समय देश की कुल आबादी 121 करोड़ दर्ज की गई थी। इनमें 62.32 करोड़ पुरुष और 58.75 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। वहीं, देश में कुल 24.95 करोड़ परिवार दर्ज किए गए थे। करीब 16 साल बाद होने जा रही इस जनगणना से देश की मौजूदा आबादी और जनसांख्यिकीय स्थिति की नई तस्वीर सामने आएगी। जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के निर्माण, विकास कार्यों, नीतिगत फैसलों और संसाधनों के उचित बंटवारे में किया जाएगा।

बिहार संग्रहालय के मुरीद...

के माध्यम से उनका आभार जताया और उन्हें बिहार आने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने अपने संदेश में लिखा कि आनंद महिंद्रा जी, बिहार की जनता की ओर से आपका हार्दिक आभार। बिहार की गौरवशाली विरासत हमारी पहचान और उपलब्धि का साझा संकल्प है। उन्होंने आनंद महिंद्रा को बिहार संग्रहालय भ्रमण और हाई टी पर संवाद के लिए सादर आमंत्रित किया। साथ ही उद्योग, कृषि, तकनीक और पर्यटन के क्षेत्र में साझेदारी के जरिए निवेश, रोजगार तथा युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने की अपील की।

मुख्यमंत्री के इस आत्मीय निमंत्रण पर आनंद महिंद्रा ने भी गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा कि मुख्यमंत्री का स्नेहपूर्ण और उत्साहजनक जवाब सचमुच दिल छू लेने वाला है। बिहार संग्रहालय को लेकर मुख्यमंत्री का गर्व और लगाव भी उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी बिहार आने का अवसर मिलेगा, वे मुख्यमंत्री के निमंत्रण का लाभ जरूर उठाएंगे।

स्कूलों में जींस...

संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद कई विद्यालयों में इनका पालन नहीं हो रहा है। कुछ शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़े पहनकर विद्यालय आ रहे हैं। वहीं, विद्यालय परिसर में डीजे, डिस्को और अन्य अमर्यादित गतिविधियां आयोजित किए जाने की सूचनाएं भी मिल रही हैं। अपर मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का व्यवहार विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करता है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा कैलेंडर में निर्धारित विशेष अवसरों पर ही नृत्य और संगीत के अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। विद्यालयों में अनुशासन, शालीनता और गरिमापूर्ण वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट से अनंत...

पता चलेगा। अनंत सिंह ने कहा कि जब बेल हो गया तो नीरज दिल्ली चला गया। नीरज कुमार ने मेरा नाम कोर्ट में भेज दिया। सरकार ने मेरे खिलाफ कोई काम नहीं किया है। नीरज कुमार ने मेरे खिलाफ कोर्ट में मामला पहुंचाया है। जन सुराज के उम्मीदवार का समर्थन दुलारचंद ने किया था। मैं खाना खाकर प्रचार करके आ रहा था, नीरज कुमार ने दुलारचंद का हत्या करा दिया। हम तो 5 द्वद्व दूर थे, तब हमको पता चला कि दुलारचंद के साथ ऐसा हुआ है। दुलारचंद हत्याकांड की जानकारी मुझे शाम को हुई। सरकार की भूमिका इस मामले में यही है कि नीरज ने जो कहा सरकार ने उसे माना। नीतीश कुमार अगर लायक रहते तो यह सब नहीं होता मेरे साथ। पार्टी ने मुझे निकाल दिया है।

दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनंत सिंह की जमानत रद्द करने और 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिए जाने पर जेडीयू के नवनिर्वाचित एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि वो जानें, उनका काम जानें, हम वैसे लोगों पर कोई ध्यान नहीं देते।

1 दिसंबर को मैं सरेंडर...

दिसंबर को सरेंडर करेंगे। हालांकि, उन्हें अब भी न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें दोबारा जमानत मिल जाएगी। अनंत सिंह ने इस पूरे मामले में नीरज कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी का विरोध नहीं किया था, बल्कि नीरज कुमार का विरोध किया था। नीरज ने ही दुलारचंद यादव की हत्या करवाई और उन्हें इस मामले में फंसाया है।अनंत सिंह ने पार्टी के फैसले और सरकार की भूमिका पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार ने जो कहा, वही सरकार ने किया और पार्टी ने भी उसी बात को सही मान लिया।

उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ठीक रहते तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अनंत सिंह ने साफ किया कि अब वह न तो नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे और न ही ललन सिंह से मुलाकात करेंगे।उन्होंने पार्टी के भविष्य को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा.. पार्टी का खाता खुलना मुश्किल होगा।बेटे के चुनाव लड़ने के सवाल पर अनंत सिंह बोले- मेरा मन था, अब उसकी मर्जी अब यह फैसला बेटे को ही करना है। अन्त मे उन्होने कहा वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों को लेकर कहा... मेरा साथ जो जुल्म किया, भगवान उसको दिखा दे।

बिहार में चक्रवात...

बारिश और तेज हवा के कारण खेतों में लगी धान की फसल गिर गई है। यही नहीं, तैयार हो चुकी धान की फसल की गुणवत्ता खराब होगी।

किसानों पर प्रकृति की दोहरी मार पड़ी है। पहले मानसून के दौरान बारिश की किल्लत, फिर बाढ़ ने धान की खेती को प्रभावित किया। अब बेमौसम बारिश ने फसल को भारी क्षति पहुंचाई है।

शनिवार शाम से मौसम में तेजी से सुधार होगा। रविवार को धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान में तेजी आएगी। उत्तर बिहार की ओर बादलों की सक्रियता बढ़ने से शनिवार की सुबह तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। शनिवार की दोपहर से दक्षिण बिहार और देर शाम से उत्तर बिहार में बारिश थमेगी।

स्वत्वाधिकारी : ज्ञानमंडल प्रा. लिमिटेड के लिए **शिवशंकर दूबे** द्वारा शाश्वत प्रिण्टर्स यन्त्रालय, मजहरुल हक पथ, पटना से मुद्रित तथा शाश्वत प्रिण्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मजहरुल हक पथ, पटना-८००००१ से प्रकाशित

सम्पादक : शार्दूल विक्रम गुप्त
प्रबंध सम्पादक एवं व्यवस्थापक : **शशि शुक्ला**

वाराणसी : संत कबीर मार्ग, **गोरखपुर :** बैंक रोड, **प्रयागराज :** 3, लीडर रोड, **कानपुर :** बासमंडी, **झांसी :** झोंकनबाग, **लखनऊ :** 1, जांपलिंग रोड, **आगरा :** महात्मा गांधी रोड, **बरेली :** रोड नं. 3, परसाखेड़ा, **रांची :** नामकुम इंडस्ट्रीयल एरिया, **जमशेदपुर :** न्यू काली माटी रोड, साकची

स्थानीय सम्पादक : **दीपक पांडेय**

वर्ष-३१ संख्या-०९७३९२९
आर.एन.आई. रजिस्ट्रेशन सं. ३३४४३/७९

पीबीएक्स : २२३५०७०-७१, ७२
स्थानीय समाचार डेस्क : २२३५०७०
इ-मेल : **patnaaj@gmail.com**
पटना जीपीओ रजिस्ट्रेशन संख्या :
R-10/NP-16/2019-22

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचार के चयन के लिए **स्थानीय सम्पादक** जिम्मेदार होंगे एवं